न्यायालय संभागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी :भंवर लाल मेहरा, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या 227/2023

अपीलान्ट	बनाम	**रेस्पोडेन्टस**
1. दुर्गाराम पुत्र सोनाराम 2. प्यारीदेवी पत्नी दुर्गाराम जाति–कुम्हार, निवासी– धुडिया मोतीसिंह तहसील सिणधरी, जिला बालोतरा।		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सिणधरी, जिला बालोतरा

राजस्व अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश दिनांक 25.02.2022 जो उपखंड अधिकारी सिणधरी, जिला बालोतरा के द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 699/2021 अनवान राज0 सरकार जरिये तहसीलदार सिणधरी बनाम ताराराम वगैराह में पारित किया गया।

उपस्थितिः–

1. **श्री लादूराम पूनिया, अधिवक्ता अपीलान्टस की ओर से।**
2. **श्री नवल सिंह दहिया, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से।**

निर्णय

दिनांक 19 फरवरी, 2024

अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट के द्वारा उपखण्ड अधिकारी सिणधरी के समक्ष एक प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 130, 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम जालपाना से धूडिया मोतीसिंह तक कुल 15 खसरा नम्बर में से मौके पर रास्ते के उपयोग में आ रही है जिसे गैरमुमकीन रास्ता राजस्व रेकर्ड में दर्ज करने के आदेश प्रदान करावें। उक्त प्रार्थना पत्र में अपीलार्थी की खातेदारीभूमि ग्राम धूडिया मोतीसिंह केख0सं0 584 में से रकबा 2.8315 हैक्टर में से 0.0728 हैक्टर भूमि को गैरमुमकीन रास्ता अंकित करना शामिल की गई।

अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा तहसीलदार, सिणधरी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.02.2022 के द्वारा प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए प्रार्थना पत्र में उल्लेखित खसरान भूमि का संलग्न नजरी नक्शा अनुसार राजस्व रेकर्ड में

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

रास्ते सम्बन्धी तरमीम करने के आदेश पारित कर दिया। उक्त अपीलाधीन आदेश से व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष पेश की है।

पक्षकारान के अधिवक्ता उपस्थित है। दौरान सुनवाई अपीलान्ट के अधिवक्ता ने धारा 05 म्याद अधिनियम के तहत पेश प्रार्थना पत्र में यह कथन किया कि आलौच्य आदेश की पालना में वर्तमान समय में पटवारी हल्का मय राजस्व अधिकारियों के साथ मौके पर आये तथा अपीलान्टगण के खेत में से जबरन रास्ता निकालने हेतु प्रयासरत हुए जिस पर अपीलान्टगण ने आपत्ति की तो बताया कि सरकार ने रास्ता निकाल कर राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया है तथा उसी अनुसार रास्ता निकालने आये है। तब अधिवक्ता से सम्पर्क कर उक्त आदेश की दिनांक 21.09.2023 को नकले प्राप्त कर ली तब जानकारी प्राप्त हुई। तब अपील तैयार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है। ऐसे में अपील पेश करने में हुए विलम्ब को सदभाविक मानते हुए अपील को अन्दर म्याद शुमार की जाकर गुणावगुण पर निर्णित की जावे। राजकीय अधिवक्ता के द्वारा उक्त म्याद प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने बाबत विरोध प्रकट किया। अपीलान्ट के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में प्रकट किये गये तथ्यों के आधार पर न्यायहित में अपील को अन्दर म्याद शुमार किया जाता है।

अपीलान्ट के अधिवक्ता ने उपरोक्त तथ्यों को दोहराते हुए यह भी कथन किया कि उक्त अपीलाधीन आदेश पूर्ण रूप से गलत, सुस्पष्ट विधि के विपरित मनमाना व त्रुटिपूर्ण है क्योंकि अपीलान्टस की मालिकाना व कब्जे की खातेदारी की भूमि से बिना किसी मुआवजे के वंचित हो रहे है एवं बेदखल हो रहे है जो बिना भूमि अवाप्त किये रास्ते में दर्ज नहीं किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 10.03.16 का दुरूपयोग करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है जबकि उक्त परिपत्र केवल और केवल प्रशासन गांवों के संग अभियान के लिये जारी किया था।इसके अतिरिक्त तहसीलदार के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र चलने योग्य नहीं है तथा खातेदार की सहमति के बिना उसकी भूमि को अन्य प्रयोजनार्थ उपयोग में नहीं बदली जा सकती है। अपीलार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में कोई सहमति नहीं दी थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पेश प्रार्थना पत्र पर किसी प्रकार की कोई जॉच किये बिना तथा रेकर्ड का परीक्षण किये बिना सरसरी तौर पर स्वीकार कर लिया। अपीलाधीन आदेश विधि विपरित होने से निरस्त करने योग्य है।

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को किसी भी प्रकार का सुनवाई का नोटिस नहीं दिया है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो का उल्लंघन करते हुए खातेदारान को तहसीलदार की ओर से पेश प्रार्थना पत्र बाबत खण्डन करने का भी अवसर प्रदान नहीं किया गया है तथा धारा 136 राज0 भूराजस्व अधिनियम में भी अधीनस्थ न्यायालय को भूमि की किस्म को बिना खातेदार की सहमति के परिवर्तन करने का कोई अधिकार प्रदान नहीं किया हुआ है। तहसीलदार व पटवारी ने अपने व्यक्तियों को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिये अपीलाधीन कार्यवाही की है जिसकी जॉच किये बिना ही आदेश पारित किया गया है। ऐसे में अपीलाधीन आदेश विधि विपरित होने से निरस्त करने योग्य होने से निरस्त किया जावे तथा अपीलान्टस की अपील को स्वीकार किया जावें।

प्रत्युतर में रेस्पोडेन्ट की ओर से उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने यह कथन किया कि तहसीलदार सिणधरी के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि ग्राम धूडिया मोतीसिंह के उल्लेखित खेत खसरान में रास्ता बारहमासी चालू पाये जाने पर उक्त रास्ते का अंकन/तरमीम राजस्व रेकर्ड में किये जाने का निवेदन किया गया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो उचित होने से बहाल रखे जाने योग्य है।

हमने अपीलान्ट के अधिवक्ता एवं राजकीय अधिवक्ता की ओर से की गई बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, प्रस्तुत दस्तावेजों एवं अपीलांधीन आदेश इत्यादि का अवलोकन किया गया जिससें यह पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार, सिणधरी के द्वारा उपरोक्त प्रकरण प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रकरण दर्ज किया गया तथा मौकाफर्द मंगवाई गई तत्पश्चात सम्बन्धित प्रभावित खातेदारान के दिनांक 25.02.2022 की आदेशिका पर अंगूष्ठ निशान/हस्ताक्षर करवाये गये है, उन अंगूष्ठ निशान/हस्ताक्षरो में अपीलान्टस की उपस्थिति नहीं पाई गई है और न ही पत्रावली में अपीलान्टस को तलब करने बाबत नोटिस जारी किया जाना पाया गया है। ऐसे में अपीलान्टस की अपील में अंकित तथ्य कि अपीलान्टस को अपीलाधीन कार्यवाही करने से पूर्व विधिवत नोटिस तामील नहीं करवाया है और न ही सुनवाई का अवसर दिया गया है, सही प्रतित होते है। प्राकृतिक एवं नैसर्गिक के सिद्धान्त के अनुसार प्रभावित पक्षकार को उनके विरूद्ध किसी प्रकार का आदेश पारित करने से पूर्व विधि अनुसार सुनवाई एवं अपना पक्ष रखे जाने का पर्याप्त अवसर दिया जाना आवश्यक है। इस स्थिति में प्राकृतिक न्याय

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

सिद्धान्तों के दृष्टिगत हमारी विनम्र राय में अपीलान्ट की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर प्रकरण को उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी को प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि अपीलाधीन आदेश में अंकित अपीलान्ट के उल्लेखित खसरान भूमि के सम्बन्ध में अपीलान्ट को अपना पक्ष रखे जाने तथा सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिये जाने के पश्चात यदि अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार से संशोधन की आवश्यकता प्रतीत होती हो तो पुनः यथोचित आदेश पारित करने हेतु निर्देशित किया जाना उचित रहेगा।

अतः उपरोक्त तथ्यों पर मनन करने एवं विश्लेषण करने के उपरान्त अपीलान्ट की यह अपील आंशिक स्वीकार की जाती है तथा प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी को प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि अपीलाधीन आदेश में अंकित अपीलान्टस के उल्लेखित ग्राम धूडिया मोतीसिंह के खसरान 584 रकबा 02.8315 हैक्टर भूमि के सम्बन्ध में अपीलान्ट को अपना पक्ष रखे जाने तथा सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिये जाने के पश्चात यदि अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार से संशोधन की आवश्यकता प्रतीत होती हो तो पुनः यथोचित आदेश पारित करें। निर्णय आज दिनांक 19 फरवरी, 2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(भंवर लाल मेहरा)
सम्भागीय आयुक्त,
जोधपुर